**संख्या:39/2020/768 ई-2/तेरह-2020-02/2018टी.सी.-2**

प्रेषक,

**अनिल कुमार**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 मई, 2020

**विषय: आबकारी नीति वर्ष 2019-20 के प्रस्तर 2.7.17 (ख)4, प्रस्तर 2.7.17 (ख)3 एवं प्रस्तर 2.7.17(ख)5 के प्राविधानों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत आबकारी नीति का अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति से संशोधन के सम्बन्ध में।**

---

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी.-193/दस-लाइसेंस/आबकारी नीति क्रियान्वयन/2019-20, दिनांक 17.12.2019 एवं पत्र सं.-जी.-261/दस-लाइसेंस-421/आबकारी नीति क्रियान्वयन/2019-20, दिनांक 05.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-03-2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त पत्र संख्या-729 ई-2/तेरह-2020-02/2018टी.सी.-2, दिनांक 30 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनांक 05.03.2020 द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव एवं वर्ष 2018-19 के अवशेष स्टाक के निस्तारण हेतु पूर्व में अवधि विस्तार के संबंध में अपने पत्र दिनांक 17.12.2019 के द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

(1) बाण्ड अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक के निस्तारण की पूर्व में बढ़ायी गयी तिथि 31.05.2019 को 31.03.2020 तक एवं रम के अवशेष स्टाक के निस्तारण हेतु निर्धारित की गयी तिथि 31.10.2019 को 31.03.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

(2) होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब बार अनुज्ञापनों पर वर्ष 2018-2019 के अवशेष स्टाक के सभी प्रकार की मदिरा के ब्राण्डों के निस्तारण की समय सीमा को दिनांक 31.05.2019 से 31.03.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) सी.एस.डी. के अनुज्ञापनों पर वर्ष 2018-2019 के अवशेष स्टाक के निस्तारण की समय सीमा को दिनांक-30.06.2019 से 31.03.2020 तक विस्तारित किया जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार विस्तारित अवधि के पश्चात बचे स्टाक को वर्ष 2019-20 का अवशेष स्टाक मानते हुए इसका निस्तारण आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

**3.** कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(अनिल कुमार)**
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।